

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 552)/2019/


दिनांक:-

आदेश

श्रीमती उषा देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपकेन्द्र हाथियावाली, खण्ड सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, जिनकी जन्म तिथि 14.08.1965 एवं राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 15.08.1989 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 04.03.2019 से दिनांक 17.03.2019 तक विदेश यात्रा हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा कर प्रस्थान करेगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

उक्त आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 35 (28) चिस्वा./ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 552)/2019/194

दिनांक:- 1/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सादुलशहर (जिला श्रीगंगानगर)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमती उषा देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर